बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227650 पटना, दिनांक 13-04-2015

ग्रा.वि.- 14(सा0)सि0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री आशुतोष कुमार वर्मा,
जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसन्तपुर, सिवान)

निबंधित

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप बसन्तपुर प्रखंड (जिला-सिवान) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
0.04	₹ 54.80

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 0.04 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(प्रदीप कुमार)
सचिव

अनुलग्नक- यथोक्त।

अनुलग्नक – C

विभाग से खाद्यान्न अवशेष की मांगी गई सूचना का संबंध वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक का है इसलिए उसी वित्तीय वर्ष का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड स्तर पर उठाव एवं वितरण के उपरान्त अवशेष खाद्यान्न का विवरण निम्नवत है(अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर):–

Sl No.	Block Name	विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार			अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार पदस्थापित अवधि में अवशेष खाद्यान्न की मात्रा	अभ्युक्ति
		BDO's Name	पदस्थापित अवधि	Quantity of Foodgrains (in qtl.)		
1	गुठनी	श्री अशोक कुमार	19.04.2007	3873.39	0.00	31.03.2006 का अवशेष
2	लकड़ी नबीगंज	मो0 वशीर	13.04.2004 से 15.07.2004	4444.99	1891.00	31.03.2005 का अवशेष
		श्री कृष्णा प्रसाद	15.07.2004 से 31.12.2004	4444.99	1891.00	31.03.2005 का अवशेष
3	बसंतपुर	श्री ब्रजेश कुमार	14.01.2004 से 18.08.2004	1383.66	0.00	31.03.2005 का अवशेष
		श्री आशुतोष कुमार वर्मा	01.06.2005 से 19.04.2007	1383.66	0.04	31.03.2006 का अवशेष
4	आन्दर	श्री बृजनन्दन प्रसाद	01.04.2004 से 05.08.2004	10560.85	1460.00	31.03.2005 का अवशेष
		श्री बिन्देश्वरी प्रसाद		10560.85		इनके पदस्थापन अवधि के संबंध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
		श्री मनोज कुमार	12.01.2005 से 20.04.2007	10560.85	2479.64	31.03.2006 का अवशेष
5	भगवानपुर हाट	श्री गोविंद चौधरी	23.06.2003 से 18.08.2004	6286.88	1760.81	31.03.2005 का अवशेष
		श्री दीपू कुमार	09.06.2005 से 11.11.2005	6286.88	1760.81	31.03.2008 का अवशेष
6	पचरुखी	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	06.08.2001 से 12.07.2004	6492.87	2436.51	31.03.2005 का अवशेष
		श्री अहमद महबूब	13.07.2004 से 18.04.2007	6492.87	2094.63	31.03.2006 का अवशेष
7	गोरेयाकोठी	श्री रामविलास चौधरी	28.01.2005 से 24.04.2007	7449.98	839.34	31.03.2006 का अवशेष
8	महाराजगंज	श्री अशोक कुमार सिंह	03.06.2005 से 08.03.2006	6689.93	2297.72	31.03.2006 का अवशेष
9	दरौली	श्री सोहन प्रसाद यादव	06.01.2001 से 29.07.2004	3464.11	611.83	31.03.2005 का अवशेष
		श्री यदुनन्दन प्रसाद यादव	30.07.2004 से 26.02.2006	3464.11	0.00	31.03.2006 का अवशेष
10	हुसैनगंज	श्री काशीम अंसारी	04.01.2001 से 13.01.2005	14705.44	3549.25	31.03.2005 का अवशेष
		श्री अतुल कुमार वर्मा		14705.44		इनके पदस्थापन अवधि के संबंध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
		श्री अनिल कुमार यादव	16.02.2006 से 26.06.2007	14705.44	3549.25	31.03.2006 का अवशेष
11	सिसवन	श्री गजेन्द्र कुमार मिश्र	16.09.2001 से 14.07.2004	13968.42	4716.00	31.03.2005 का अवशेष
		श्री परमेश्वर राम	11.01.2005 से 25.08.2005	13968.42	4716.00	31.03.2006 का अवशेष
12	दरौंदा	श्री अरूण कुमार सिंह		15877.85		इनके पदस्थापन अवधि के संबंध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
		श्री जहांगीर आलम	20.07.2005 से 10.02.2006	15877.85	7140.00	31.03.2006 का अवशेष
13	रघुनाथपुर	श्री बालेश्वर प्रासद सिंह	04.01.2004 से 08.02.2003	10064.24	1630.90	31.03.2003 का अवशेष
		श्री वासीम अहमद	25.02.2006 से 18.04.2004	10064.24	927.26	31.03.2005 का अवशेष
14	बड़हरेया	श्री अतुल कुमार वर्मा	17.02.2006 से 22.04.2007	4668.89	2004.80	31.03.2006 का अवशेष
		श्री अनिल कुमार यादव		4668.89		इनके पदस्थापन अवधि के संबंध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
		श्री मदन कुमार	28.01.2003 से 16.02.2003	4668.89	2656.00	31.03.2003 का अवशेष
15	सिवान सदर	श्री मुकुल कुमार	05.02.2003 से 01.02.2006	968.8	2131.00	31.03.2006 का अवशेष
		श्री चित्रगुप्त कुमार	01.02.2006 से 16.04.2007	968.8	2131.00	31.03.2006 का अवशेष
16	मैरवा	श्री जितेन्द्र प्रसाद साह	07.08.2001 से 19.01.2005	2458.27	1812.55	31.03.2005 का अवशेष
		श्री सुशान्त कुमार	20.01.2005 से 23.07.2005	2458.27	1286.85	31.03.2006 का अवशेष

अनु०-(B)

DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY- SIWAN

…E OF THE SCHEME - S.G.R.Y. - I & II

…atement of Quantity Received, Issued, Alloted, Quantity in transit and Closing Balance of Rice during the year ended 31.03.2007

(Qty. in quintals)

Sl No.	Name of the Panchayat Samiti	Opening Balance as on 1.4.2006	Quantity in transit 1.4.2006	Quantity Received	Alloted during the year 06-07	Total	Issued on Scheme	Quantity in transit 31.3.2007	Closing Balance 31.3.2007
		A	B	C	D	E=(A+C)	F	G=(B+D-C)	
1	PACHRUKHI	2094.63	2362.00	0.00	1606.00	2094.63	0.00	3968.00	2094.63
2	DURAUNDHA	7140.00	1375.00	0.00	1434.00	7140.00	0.00	2809.00	7140.00
3	MAHARAJGANJ	2297.72	1782.00	0.00	1143.00	2297.72	418.48	2925.00	1879.24
4	DARAULI	0.00	1886.00	0.00	1219.00	0.00	0.00	3105.00	0.00
5	SISWAN	4716.00	1711.00	0.00	1088.00	4716.00	0.00	2799.00	4716.00
6	RAGHUNATHPUR	1659.31	266.00	0.00	1301.00	1659.31	1205.86	1567.00	453.45
7	MAIRWA	1286.85	2593.00	0.00	604.00	1286.85	0.00	3197.00	1286.85
8	ANDAR	2479.64	580.00	0.00	821.00	2479.64	0.00	1401.00	2479.64
9	HUSSAINGANJ	3549.25	2867.00	0.00	1665.00	3549.25	0.00	4532.00	3549.25
10	GOREAKOTHI	839.34	2418.00	0.00	1540.00	839.34	0.00	3958.00	839.34
11	GUTHANI	0.00	1393.00	0.00	910.00	0.00	0.00	2303.00	0.00
12	LAKRI NABIGANJ	1711.00	1417.00	0.00	901.00	1711.00	0.00	2318.00	1711.00
13	SIWAN SADAR	2131.00	2119.00	0.00	1368.00	2131.00	0.00	3487.00	2131.00
14	BARHARIA	2004.60	3343.00	0.00	2162.00	2004.80	0.00	5505.00	2004.80
15	BHAGWANPUR HAT	1760.81	2280.00	0.00	1465.00	1760.81	0.00	3745.00	1760.81
16	BASANTPUR	0.04	815.00	0.00	699.00	0.04	0.00	1514.00	0.04
17	JIRADAHI	0.00	0.00	0.00	1178.00	0.00	0.00	1178.00	0.00
18	NAUTAN	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	622.00	0.00
19	ZILA PARISAD	6450.00	12376.14	0.00	14484.00	6450.00	0.00	26860.14	6450.00
	TOTAL	40120.39	41583.14	0.00	36210.00	40120.39	1624.34	77793.14	38496.05

निदेशक
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन

उप विकास आयुक्त
सिवान

TIBREWAL DALMIA & ASSOCIATES * Chartered Accountants * Khagaria

65

New Delhi
Dated 27th December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.*

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

under NREGA and SGRY NFFWP [illegible] 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be campleted upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authrization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक ______/ग्रा०वि०पटना, दिनांक-
8(विविध)40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।